Shivalik Rasayan Limited

Corporate Office: 1506, Chiranjiv Tower,
43, Nehru Place, New Delhi-19
Tel: +91 11 47589500 (30 Lines), 26221811/26418182
E-Mail : info@shivalikrasayan.com
Website: www.shivalikrasayan.com
CIN: L24237UR1979PLC005041

Ref: STEX/Published-2025-26 **Date: 09.10.2024**

BSE Limited
Department of Corporate Services-Listing
PJ Towers, Dalal Street
Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai- 400051

Scrip Code- 539148

Symbol- SHIVALIK

Sub. : Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in English and Hindi newspapers, namely Financial Express and Vir Arjun respectively on October 09, 2025.

The above information is also available on the website of the Company at www.shivalikrasayan.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,
For Shivalik Rasayan Limited

PARUL ARORA Digitally signed by PARUL ARORA Date: 2025.10.09 14:16:22 +05'30'

Parul Choudhary
Company Secretary & Compliance Officer
ACS-34854

Encl: As above.

FASHIONING POSSIBILITIES

Phone: 079-68

N

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of Secti the Companies (Management and Administration) Rules, ("Listing Regulations") and General Circular No. 20/202 Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEBI Circular No Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secret re-enactment thereof for the time being in force), that the **("Postal Ballot Notice")**. Members are informed that the by E-mail and completed on Wednesday, 8th October, 202 addresses as on the cut-off date i.e. Friday, 3rd October, 20

The Postal Ballot Notice has been sent to email addresses Securities Depository Limited (**'NSDL'**) and Central Dep **the notice along with postal ballot form and prepaid b their assent or dissent only through the remote e-votin** Off Date. A person who is not a member as on the Cut - O

Members whose email addresses were not registered with email citing subject line as "AL - Postal Ballot - Registrat **investor@arvind.in** with name of registered shareholder as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-vot in physical form or who have not registered their email ad

In accordance with the provisions of Section 108 of the A members to exercise their votes electronically in respect o

Details of Postal Ballot Schedule:

Sr. No.	Particulars
1	Date of Completion of dispatch of postal ballot
2	Cut - off date for identification of voting rights
3	Date and time of commencement of remote e-vo
4	Date and time of end of remote e-voting
5	Remote e-voting shall not be allowed beyond
6	Scrutinizer
7	Contact details of the person at NSDL responsib the grievances connected to e-voting

Members are informed that: (1) Members can vote only Company. (2) A member who has not received Postal B Voting may obtain the same by sending an email to our (3) A copy of the Postal Ballot Notice and the procedure Ballot Notice along with Explanatory Statement is also **("Stock Exchanges")** where the equity shares of the Com been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-v through electronic means, members may contact Regist **pcs.buchassociates@gmail.com** or the Company at **inv** from the closure of e-voting. The results declared and t website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com** besides bein

Place: Ahmedabad
Date: 8th October, 2025

SHIVALIK RASAYAN LIMITED

CIN: L24237UR1979PLC005041
Regd. Office: Village Kolhupani, Post Office Chandanwari, via Prem Nagar, Dehradun Uttarakhand-248007
Corp. Office: 1506, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi- 110019
Email: cs@shivalikrasayan.com **Website:** www.shivalikrasayan.com,
Phones: 01147589500

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to IEPF

In terms of requirements of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the IEPF Account established by the Central Government.

A separate communication has been/shall be sent to all the Shareholders, who have not encashed the final dividend for the financial year 2017-18 and all the subsequent dividends declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules. A list of such shareholders who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account is available on the website of the Company at https://shivalikrasayan.com/unclaimed-dividends/

Shareholders are requested to forward the requisite documents, as per the above-mentioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), to claim the unclaimed dividend amount and shares on or before 30.10.2025.

Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the Shareholders, the Company would be transferring the said shares to IEPF Account without further notice in accordance with the requirement of the said Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Please note that after such transfer, Shareholders/Claimants can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF Authority, for which details are available at www.iepf.gov.in.

For any information/clarifications on this matter, the concerned Shareholders/Claimants may write to the Company at cs@shivalikrasayan.com or to the RTA, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., by writing to them at beetalrta@gmail.com or calling them on 011-29961281/82 between 10:00 A.M.to 5:00 P.M

For Shivalik Rasayan limited
Sd/-
Parul Choudhary
Company Secretary & Compliance Officer

Place- New Delhi
Date- 08.10.2025

1	Chandigarh	Fair deal Agencies (Prop: Goyal agency Pvt Ltd)	34.50
2	Chennai	Radha Madhav Automobiles Pvt Ltd	44.65
3	Chennai	Shree Basaveshwar Sugars Ltd	23.68
4	Chennai	Srinivasan Charitable & Educational Trust	61.94
5	Delhi	RG Infra Build Pvt Ltd	5.99
6	Mumbai	Gammon India ltd.	505.68
7	Mumbai	Sanwaria Consumer Limited	245.28
8	Mumbai	Banyan & Berry Alloys Ltd	36.19
9	Mumbai	Krishidhan Seeds Pvt. Ltd	29.98

Interested ARCs/Permitted Transferees can send their expression of interest at **hosastraarc@pnb.bank.in**. PNB reserves the right to cancel/modify/withdraw the process and amend at any stage at Bank's discretion without citing any reason thereto. In case of any clarification, you may contact the undersigned:-

Name	Designation	Contact Details
Mrityunjay Kumar	Dy. General Manager	7506647014
Dheeraj Jha	Asst General Manager	9909994101

The last date for submission of expression of interest shall be 17.10.2025 (Friday) by 05.00 PM.

For more details please visit 'Public Notices' section on Bank's corporate website: https://www.pnb.bank.in/Public-Notices.aspx.

Place: New Delhi
Date: 08.10.2025

Sd/-
Asstt. General Manager

This is only an advertisement for information purpose only and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India.

STARLINEPS ENTERPRISES LIMITED

Registered and Corporate Office: Office No. 805, Solaris Bay View, Near Iscon Mall, Piplod, Surat, Nizar, Gujarat-395 007, India. Tel. No.:+917574999004;
CIN: L36910GJ2011PLC065141; Website: www.starlineps.com; Email: info@starlineps.com;
Company Secretary & Compliance Officer: Ms. Madhuriben Kishan Chhatrola,

PROMOTER OF OUR COMPANY: MRS. VARSHABEN DHIRAJBHAI KORADIYA AND MR. DHIRAJBHAI KORADIYA
ISSUE OF UPTO 10,37,52,000 * FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹2 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹2,075.04 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 2(TWO) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON SEPTEMBER 09, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 62 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, September 15, 2025 and closed on Tuesday, September 23, 2025, the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, September 18, 2025 and the last date of closure of off Market Transfer of Rights Entitlements was Monday, September 22, 2025. Out of the total 4,311 Applications for 10,58,37,469 Rights Equity Shares, 513 Applications for 20,27,262 Rights Equity Shares and also 58,207 Rights Equity Shares (partial rejections), were rejected on grounds of "Technical Rejections" aggregating 20,85,469 Rights Equity Shares. The total numbers of valid applications were 3,798 for 10,37,52,000

OSTWAL

MADHYA

Reg. Office- Wing A/1, 1st
Website:
CIN : L24121RJ1997
Statement of Un-A

THE

उच्च शिक्षा में 10 हजार छात्रों का हो कैम्पस प्लेसमेंट: डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष 10 हजार छात्रों का कैम्पस प्लेसमेंट का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय अपने परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अंतिम वर्ष में कैम्पस इंटरव्यू करा कर उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम एक लाख का पैकेज दिलवायेंगे। ताकि राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे 10 हजार छात्रों को प्लेसमेंट के माध्यम से लखपति बनाया जा सके। यह बात सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर शिक्षा संवाद में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 500 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर प्रतिवर्ष हजारों छात्र-छात्राओं को कैम्पस प्लेसमेंट के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी प्रतिवर्ष 10 हजार छात्र-छात्राओं को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से कैम्पस प्लेसमेंट के तहत एक लाख से अधिक के पैकेज के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने कैम्पस व सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन कराना होगा, ताकि विभिन्न विषयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में ही विभिन्न क्षेत्रों में योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिये राजकीय विश्वविद्यालय सहित सम्बद्ध संस्थानों को अपने-अपने कैम्पस में प्लेसमेंट सेल का गठन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग एवं नैक ग्रेडिंग के लिये विशेष ध्यान देने की बात कही।

चिंतन शिविर के प्रथम दिन पांच सत्रों का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम सत्र में गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा: नवीन आयाम विषय के अंतर्गत एनईपी-2020 और कौशल आधारित शिक्षा, शिक्षण पद्धति और छात्रों की अपेक्षाएं, आधारभूत संरचनात्मक और डिजिटल गैप तथा शिक्षकों की गुणवत्ता अभिवृद्धि पर शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इसी प्रकार द्वितीय सत्र ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित रहा। जिसमें अनुसंधान और नवाचार, परिणाम और पेटेंट तथा गुणवत्तापूर्ण शोध प्रकाशन जैसे बिन्दुओं पर चर्चा हुई। तृतीय सत्र में उच्च शिक्षा में उद्यमिता एवं रोजगार अवसर: भविष्य की दिशा विषय के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र, छात्रों में कौशल अंतराल (स्किल गैप) व प्लेसमेंट की चुनौतियां जैसे अहम बिन्दुओं पर चर्चा हुई। चतुर्थ सत्र में इंडस्ट्री-एकेडेमिया लिंकेज: अंतराल न्यून करने हेतु प्रभावी कदम विषय के अंतर्गत उद्योग एवं बाजार आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप व उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के बारे में चर्चा की गई। जबकि पांचवें सत्र में नशा मुक्त उत्तराखंड विषय पर परिचर्चा हुई। जिसमें विषय विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचार व्यक्त कर सुझाव साझा किये।

इसके अलावा चिंतन शिविर में इकफाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राम करण सिंह ने उच्च शिक्षा के विकास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका तथा अमृता विश्व विद्यापीठम, हरिद्वार की प्राचार्या डॉ. बी. राजथिलगम ने उत्कृष्टता संवर्धन: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल मूल्य पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। चिंतन शिविर में सूबे के मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को एनआईआरएफ रैंकिंग हासिल करने के लिये लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नैक की शुरूआत हो गई है, जिसके चलते उच्च शिक्षण संस्थानों में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देना लगा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाना है, इसके लिये ठोस रूपरेखा बनाई जायेगी। चिंतन शिविर में उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति डॉ. देवेन्द्र भसीन, डॉ. जयपाल सिंह चौहान, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, आयुक्त एवं परियोजना निदेशक रूसा झारखण्ड डॉ. संतोष कुमार देवांगन, अपर सचिव मनुज गोयल, कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रो. प्रकाश सिंह, कुलपति गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय प्रो. मनमोहन सिंह चौहान, निदेशक आईआईएम सिरमौर प्रो. प्रफुल्ल अग्निहोत्री, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय प्रो. एस.एस. बिष्ट, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड प्रो. वी.एन. खाली सहित देशभर के दर्जनों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कुलपति, निदेशक एवं प्राचार्य उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

देहरादून से ई-स्पोर्ट्स एरीना तक, राइजिंग स्टार शिराज थापा की सफलता की कहानी

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। सिर्फ 19 साल की उम्र में, शिराज थापा का देहरादून से लेकर नेशनल ई-स्पोर्ट्स की दुनिया तक का सफर मेहनत, प्रतिभा और सही मौके की ताकत की एक प्रेरणादायक कहानी दर्शाता है। उन्होंने बीजीएमएस 2025 टूर्नामेंट में जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स टीम से अपना आधिकारिक डेब्यू किया। इस टीम में जैप पार्थ, हंटरज़ कैफ़, ग्रेविटी आशर और यश भी शामिल थे। अपने पहले ही टूर्नामेंट में, शिराज और उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और अंत में 11वां स्थान हासिल किया। कुल 6 मैचों में, शिराज ने 6 फिनिश किए, जो उनके प्रोफेशनल करियर की एक मजबूत शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब शिराज अपने करियर का अगला बड़ा कदम उठा रहे हैं। वे फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स टीम के लिए बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया शोडाउन 2025 जैसे बेहद प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। टीम में असॉल्टर की भूमिका निभाते हुए, शिराज भारत के सबसे बड़े बीजीएमआई मंच पर खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे अब अनुभवी खिलाड़ियों जैसे वेरॉन, ऐश, फैंटम और फ्रॉस्ट के साथ खेल रहे हैं। एक नौसिखिए से लेकर एक उभरते हुए प्रोफेशनल खिलाड़ी तक का उनका सफर हर मैच के साथ आगे बढ़ रहा है, और शिराज का लक्ष्य है कि वे ई-स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। शिराज की बीजीएमआई के प्रति दिलचस्पी तब शुरू हुई जब उन्होंने मशहूर स्ट्रीमर श्राउड को खेलते हुए देखना शुरू किया। उनके पीसी गेमप्ले ने शिराज को इतना प्रेरित किया कि वे इसके मोबाइल वर्ज़न के आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे।

पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग को मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (पीईएसबी) (बीएसई एसएमई : 544141), एक अग्रणी कॉरपोरेट ब्रोकिंग हाउस, ने घोषणा की है कि कंपनी को मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) की मंजूरी प्राप्त हुई है। अब कंपनी एक सेबी पंजीकृत मर्चेंट बैंकर है, जिसका पंजीकरण क्रमांक आईएनएम 000013323 है। हाल ही में कंपनी ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने 20,00,000 कन्वर्टिबल वारंट्स का आवंटन विभिन्न प्रवर्तक और गैर-प्रवर्तक समूह संस्थाओं को वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (संयुक्त) के लिए कंपनी ने कुल राजस्व रुपये 7664.38 लाख दर्ज किया।

यूपीएसएसएससी प्रतियोगी परीक्षा में गड़बडी की जांच को लेकर गठित एकल सदस्यीय आयोग ने देहरादून में किया जन संवाद

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विगत 21 सितंबर को हुई प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर राज्य सरकार द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने बुधवार को जनपद देहरादून के सर्वे चौक स्थित अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीडीए) ऑडिटोरियम में लोक सुनवाई एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों, परीक्षा केंद्र प्रभारी, कोचिंग सेंटर संचालक और आम नागरिकों ने अपनी बात और सुझाव रखे।

एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने स्पष्ट किया कि जांच कार्य पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य एवं साक्ष्यों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न जिलों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहा है। जन सुनवाई में जो भी सुझाव एवं साक्ष्य मिल रहे है, उनको संकलित किया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा सके।

जनसुनवाई में मौजूद अभ्यर्थियों ने अपने विचार आयोग के समक्ष रखते हुए प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता से जांच करने और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। आयोग ने एक-एक कर सभी अभ्यर्थियों की बात सुनी और उनके सुझाव लिए। जांच आयोग के सचिव विक्रम सिंह राणा ने कहा कि जनसुनवाई में मिली शिकायतों और सुझावों को संकलित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस संबंध में जांच आयोग की ईमेल के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करा सकता है।

लार्सन एंड टुब्रो के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को आपदा राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ का चेक सौंपा

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को नई दिल्ली में लार्सन एंड टुब्रो के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता एवं राहत-पुनर्वास कार्यों में सहयोग हेतु ?5 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एल.एंड.टी. के इस सराहनीय सहयोग के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में कॉर्पोरेट सेक्टर का यह योगदान राज्य सरकार के लिए बड़ी सहायता साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ कर रही है। ऐसे में निजी क्षेत्र की सहभागिता से इन कार्यों में और तेजी आएगी तथा प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने और राहत तंत्र को और अधिक सक्षम करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इस अवसर पर एल.एंड.टी. समूह के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'kf) i=

ICICI Home Finance कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टावर अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059, भारत
शाखा कार्यालयः तीसरी मंजिल, दुकान संख्या 21/42, राजपुर रोड–2, क्रॉस रोड मॉल के पास, देहरादून, यूके–248001
आईसीआईसीआई एचएफसी द्वारा 26 सितंबर 2025 को कर्जदार का नाम – विराट पचौरी, एलएएन नं. – एनएचडीईएच00001295074 के अचल संपत्ति की बिक्री हेतु द पायनियर (अंग्रेजी) और वीर अर्जुन (हिन्दी) में देहरादून नोटिस में प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें। यह नीलामी 28 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जानी है। प्रतिभूत संपत्ति की नीलामी एतद्द्वारा वापस ली जाती है।
दिनांकः 9 अक्टूबर, 2025
स्थानः देहरादून
प्राधिकृत अधिकारी, "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड",
CIN Number:- U65922MH1999PLC120106

HDFC BANK पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई– 400 013 और इसका एक कार्यालय रिटेल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूप में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुरमार्ग (पूर्व), मुंबई–400042 में स्थित है।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना और सार्वजनिक सूचना

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("बैंक") के नीचे उल्लिखित कर्जदारों को प्रतिभूतियों पर ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक को गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के संबंध में सूचित किया जाता है।
ऋण की शर्तों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने में कर्जदारों द्वारा लगातार चूक के कारण नीचे दिए गए ऋण खाते में बकाया हैं। बैंक ने इन कर्जदारों को कई सूचना जारी किए हैं जिनमें नीचे उल्लिखित तिथि को अंतिम बिक्री सूचना भी शामिल है जिसके तहत बैंक ने गिरवी को वापस ले लिया था और कर्जदार को ऋण चुकाने के लिए 7 दिनों का समय दिया था। नीचे दिए गए खातों में संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा अन्यथा बैंक को इस संबंध में आगे कोई सूचना जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने की स्वतंत्रता होगी। कर्जदारों ने उचित भुगतान करने में उपेक्षा की है और असफल रहे हैं इसलिए बैंक ने ऋण समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक गिरवीदार के रूप में 16 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने/उनका निपटान करने का निर्णय लिया है ताकि कर्जदारों द्वारा बैंक को देय राशि की वसूली की जा सके। कर्जदारों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य और गिर जाता है जिससे मार्जिन आवश्यकता में और कमी आती है तो बैंक अपने विवेक से एक (1) कैलेंडर दिवस के भीतर इस संबंध में कोई और सूचना दिए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूति को बेच देगा। कर्जदार गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय के समायोजन के बाद शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

क्र. सं.	लोन खाता संख्या	कर्जदार का नाम	6 अक्टूबर 2025 को बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
1	XXXXXXXXXX5691	रितु चौबे तिवारी	18,52,472.09	07.10.2025
2	XXXXXXXXXX7315	हरीश गुप्ता	51,737.38	07.10.2025
3	XXXXXXXXXX3987	अमन वर्मा	32,211.14	07.10.2025
4	XXXXXXXXXX9101	आशीष कुमार	4,297.00	07.10.2025

तिथिः 09.10.2025 हस्ता./–
स्थानः उत्तराखंड एचडीएफसी बैंक लि.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख देने के दिए आदेश

नैनीताल, वीर अर्जुन संवाददाता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीमा कम्पनी की अपील खारिज करते हादसे में जान गंवाने वाले गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक दुर्घटना में मारे गए पेशेवर गायक पवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। एकल पीठ ने बीमा कंपनी के उन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें गायक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाया गया था। यह मामला 9 जून 2018 को हुई एक दुर्घटना से संबंधित है, जब गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी जा रही थी कार ग्राम मुरकुड़िया, के पास गहरे खड्डु में जा गिरी थी। इस दुर्घटना में कार चालक व गायक पप्पू कार्की की मौत हो गई थी।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, हल्द्वानी ने 18 अक्टूबर 2019 को गायक पप्पू कार्की की पत्नी कविता कार्की और अन्य आश्रितों के पक्ष में 90,01,776 रुपये (90 लाख 1 हजार 776 रुपए) का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, जिसे बीमा कंपनी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बीमा कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय की गणना के लिए उनकी मृत्यु के बाद की अवधि के आयकर रिटर्न पर विचार करके गलती की है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि मृतक एक गायक थे, उनकी आय नियमित नहीं थी और दुर्घटना जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुई थी, न कि तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण। इसके विपरीत, आश्रितों के वकील ने कहा कि आईटीआर दुर्घटना की तिथि से पहले की अवधि यानी आकलन वर्ष 2015-16, 2016-17, और 2017-18 के थे, और आईटीआर वैधानिक दस्तावेज हैं, जिन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पवेंद्र सिंह पप्पू कार्की का जन्म 30 जून 1984 को पिथौरागढ़ जिले के शैलावन गांव में हुआ था।

वो तेजी से उभरते कुमाऊंनी लोकगायक थे। उनके नाम अनेक सुपर हिट गीत हैं। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले थे। इंडियन आइडल से मशहूर हुए गायक पवनदीप राजन पप्पू कार्की के गायकी ग्रुप से निकले हैं। पप्पू कार्की ने सबसे पहले न्योली गाई थी। इससे उनकी पहचान बननी शुरू हुई थी। इस बीच वो संघर्ष करते रहे।

रोजी रोटी के लिए उन्होंने 6 साल तक दिल्ली में कई जगह नौकरी की। इसके साथ ही अपनी संगीत साधना जारी रखी। 2006 में दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड आइडल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। 2009 में मसूरी में उन्हें सर्वेश्रेष्ट उभरता गायक का पुरस्कार मिला था। 2010 में पप्पू कार्की के एल्बम झम्म लागदी ने उन्हें युवाओं का पसंदीदा गायक बना दिया। 2014 में श्रेष्ठ गायकी के लिए यूका अवॉर्ड ने पप्पू कार्की को युवाओं के दिलों की धड़कन बना दिया था। 2015 में पप्पू कार्की को गोपाल बाबू गोस्वामी अवॉर्ड मिला। 9 जून 2018 को एक सड़क हादसे ने उत्तराखंड के इस उभरते गायक को छीन लिया।

बाबा केदार की नगरी ने ओढ़ी बर्फ की चादर

रुद्रप्रयाग, वीर अर्जुन संवाददाता। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली है। मैदानी इलाकों के कई क्षेत्रों में बादल और धूप आंख मिचौली खेल रहे हैं तो पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने भी कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले तीन दिन से बर्फबारी हो रही है। इससे हिमालय की चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है।

रुद्रप्रयाग जिला में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में तीसरे दिन भी बर्फबारी और बारिश हो रही है। धाम में के चारों ओर बर्फ जम गई है। साथ ही मौसम बेहद ठंडा हो गया है। लगातार बर्फबारी होने और मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी उड़ाने भरने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि बर्फबारी के बीच भी यात्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।

केदारनाथ धाम में बीते सोमवार से ही मौसम खराब है और लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण धाम में अत्यधिक ठंड पड़ना शुरू हो गया है। हालांकि बर्फबारी के बावजूद भारी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। धाम पहुंच रहे भक्त भी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भैयादूज के पर्व पर 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट बंद होने हैं। कपाट बंद होने से पहले ही बर्फबारी पड़ने से धाम पहुंच रहे भक्तों में उत्साह बना हुआ है।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/चर्तुथ द्वारा निम्नलिखित ई टेन्डर संख्या जिनके बन्द होने की तिथि व समय प्रत्येक के सामने अंकित है। जो उसी दिन 16.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निम्नलिखित टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आंमत्रित किये जाते है। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंकर चेक डिपॉजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होगा। टेन्डर से संबधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेन्डर संख्या	185-DRM-MB-25-26 Date- 23.09.2025	191-DRM-MB-25-26 Date- 23.09.2025
कार्य का नाम	Provision of infrastructural facilities at new goods shed at Seohara Station.	Upgradation/Modernization of infrastructure at new goods shed at Aghwanpur Station.
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक	04.11.2025	04.11.2025
टेन्डर क्लोसिंग समय	16:00	16:00
अनुमानित लागत	4,87,46,181.80	4,98,66,794.52
धरोहर राशि	3,93,700.00	3,99,300.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि	10 माह	10 माह
बिडिंग आरंभ तिथि	21.10.2025	21.10.2025

टेन्डर नं. Sr. DEN-IV/Publication/25-26 दिनांक: 07.10.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3099/25

रवीना टंडन और राशा थडानी ने किया अपना पहला संयुक्त ब्रांड डेब्यू

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। इस दिवाली, भारत के सबसे विश्वसनीय ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक रिलायंस ज्वेल्स ने अपने नए फेस्टिव कलेक्शन का शुभारंभ किया है, जो भारत के सबसे बड़े पर्व की जीवंत भावना को समर्पित एक चमकदार प्रस्तुति है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि ब्रांड पहली बार बॉलीवुड आइकन रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी का स्वागत अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में कर रहा है। मां-बेटी की यह जोड़ी विरासत और आधुनिकता का अनूठा संगम है, जो दर्शाती है कि भारतीय अपने आभूषणों से कैसे बदलते रिश्ते साझा करते हैं। रिलायंस ज्वेल्स के साथ उनका यह जुड़ाव इस तथ्य का उत्सव है कि आभूषण पीढ़ियों से परे जाते हैं-परिवार की धरोहरों को दिल से जोड़े रखते हुए साथ ही आज की जीवनशैली के लिए समकालीन डिज़ाइनों को अपनाते हैं।

लॉन्च के अवसर पर गायत्री यादव, ग्रुप सीएमओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने कहा, "ौ भारतीयों का सोने के साथ हमेशा से एक गहरा भावनात्मक रिश्ता रहा हैकृयह हमारी परंपराओं, उपलब्धियों और पहचान का प्रतीक है। लेकिन समय के साथ शैलियां बदलती हैं और कई बार पुराने डिज़ाइन हमारी अभिव्यक्ति से मेल नहीं खाते।

हमारा नया दिवाली कलेक्शन इस बदलाव का उत्सव है-जहां कालातीत परंपराओं और आधुनिक पसंद का खूबसूरत संगम है। रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा के इस अभियान के चेहरे के रूप में, हम उपभोक्ताओं की दो पीढ़ियों से जुड़ते हैं, परिवारों को अपने आभूषणों को ऐसे डिज़ाइनों से नया रूप देने के लिए प्रेरित करते हैं जो विरासत का सम्मान करते हुए आधुनिक शैली को अपनाते हैं।

मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य संरक्षा एंव औषधि प्रशासन विभाग यानि एफडीए का सघन अभियान जारी

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य संरक्षा एंव औषधि प्रशासन विभाग यानि एफडीए का सघन अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहारी मौसम में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में बिक रहे मावा, पनीर, घी, दूध और मिठाइयों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि मिलावटखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, डॉ. आर. राजेश कुमार ने त्योहारी सीजन में अपर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ताजबर सिंह जग्गी को निर्देशित किया है कि सभी जनपदों में निरंतर निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया जाए। राज्य के सीमावर्ती जिलों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि बाहरी राज्यों से नकली और बिना मानक खाद्य सामग्री की आपूर्ति पर रोक लगाई जा सके। विभागीय टीमें मोबाइल वैन के माध्यम से तेजी से सैंपलिंग कार्य कर रही हैं। डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि प्रयोगशालाओं को निर्देश दिए गए हैं कि सैंपलों की जांच शीघ्रता से की जाए, जिससे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित हो सके।

आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स लगातार बाजारों में जाकर मावा, खोया, पनीर, मिठाई और तेल जैसे उत्पादों की मौके पर जांच कर रही हैं। विभागीय टीमें प्रदेश के हर जिले, कस्बे और प्रमुख बाजारों में सैंपलिंग कर रही हैं ताकि हर उपभोक्ता तक सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ पहुंच सकें। सरकार का स्पष्ट संदेश है " के खिलाफ कोई रियायत नहीं, उपभोक्ता की सेहत अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी स्वयं विभिन्न जिलों में चल रहे छापेमारी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों के साथ चारधाम यात्रा मार्गों व पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं, जो मावा, पनीर, घी और मिठाइयों के सैंपल एकत्र कर प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेज रही हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध तत्काल सीलिंग, लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सुबह लगभग 5 बजे भगवानपुर के बालेकी युसुफपुर गांव में एक वाहन को रोककर जांच की। वाहन में बिना गुणवत्ता प्रमाणीकरण और स्वास्थ्य मानकों के पनीर सप्लाई की जा रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि उत्पादों पर किसी प्रकार का एफएसएसएआई मानक अंकन या लेबलिंग नहीं थी, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। टीम ने मौके पर ही उत्पादों को जब्त कर वाहन चालक और सप्लायर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया।

वीर अर्जुन
वर्गीकृत विज्ञापन
Change of Name
I, hitherto known as Bhaguli Devi W/o Gireesh Chandra, R/o Khalta, Khalta, Almora, Uttarakhand-263667, have changed my name and shall hereafter be known as Bhawanee Devi. C-38595

SHIVALIK RASAYAN LIMITED
CIN: L24237UR1979PLC005041
Regd. Office: Village Kolhupani, Post Office Chandanwari, via Prem Nagar, Dehradun Uttarakhand-248007
Corp. Office: 1506, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi- 110019
Email: cs@shivalikrasayan.com Website: www.shivalikrasayan.com,
Phones: 01147589500

NOTICE
Transfer of Equity Shares of the Company to IEPF

In terms of requirements of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the IEPF Account established by the Central Government.

A separate communication has been/shall be sent to all the Shareholders, who have not encashed the final dividend for the financial year 2017-18 and all the subsequent dividends declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules. A list of such shareholders who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account is available on the website of the Company at https://shivalikrasayan.com/unclaimed-dividends/

Shareholders are requested to forward the requisite documents, as per the above-mentioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), to claim the unclaimed dividend amount and shares on or before 30.10.2025.

Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the Shareholders, the Company would be transferring the said shares to IEPF Account without further notice in accordance with the requirement of the said Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Please note that after such transfer, Shareholders/Claimants can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF Authority, for which details are available at www.iepf.gov.in.

For any information/clarifications on this matter, the concerned Shareholders/Claimants may write to the Company at cs@shivalikrasayan.com or to the RTA, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., by writing to them at beetalrta@gmail.com or calling them on 011-29961281/82 between 10:00 A.M.to 5:00 P.M

For Shivalik Rasayan limited
Sd/-
Parul Choudhary
Company Secretary & Compliance Officer
Place- New Delhi
Date- 08.10.2025